

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं० 6368/17

दिनांक 5/7/17

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
समस्त नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र,
उत्तर प्रदेश।

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

विषय—एन्टी रैगिंग एवं स्वच्छ भारत—स्वस्थ भारत स्कीम लागू करने के संबंध में
महोदय/महोदया,

इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र संख्या—22-10/2015-INC(AR) दिनांक 28 जून, 2017 (छायाप्रति संलग्न) के सन्दर्भ में आपको सूचित करना है कि उक्त पत्र में दिये गये एन्टी रैगिंग के संबंध में यू0जी0सी0 रेग्यूलेशन 2009 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के दिशा—निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

साथ ही भारत सरकार की "स्वच्छ भारत—स्वस्थ भारत स्कीम" के संबंध में यू0जी0सी0 के दिशा—निर्देशों का पालन करना भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।